मगन

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

10 अप्रैल, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कन्डेय काटजू, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 302 एवं 323.

हत्या-अभियुक्तगण ने मृतक एवं अन्य पर हमला किया -अभियुक्त ने कथित तौर पर एक तीर मारा जो मृतक की छाती में घुस गया- मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया- विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण को मृतक की हत्या करने और उसके भाई को स्वेच्छा उपहति कारित करने का दोषी पाया और उन्हें तदनुसार दंडित किया गया -उच्च न्यायालय ने अपील में अपीलार्थी और एक अन्य को छोड़कर सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि की। अभिनिर्णीत, अपराध करने के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से न केवल प्राथमिकी में बल्कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में भी खुलासा किया गया- घटना स्थल पर अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति संदिग्ध नहीं है-चूंकि घटना के चार साल बीतने के बाद गवाहों के बयान में कुछ भिन्न्ता आने से इनकार नहीं किया जा सकता है-आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क पहली बार उठाया गया और इसे विनिर्दिष्ट रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था- परिस्थितियों के बारे में कोई कारण/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया- अभियुक्तगण में से किसी को भी चोट नहीं लगी जिससे अभियुक्तगण के आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने को न्यायोचित ठहराया जा सके-इन परिस्थितियों में, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने

अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी सही पाया - साक्ष्य अधिनियम, 1872 साक्षीगण की साक्ष्य- साक्ष्यिक मूल्य। घटना के दिन जब मृतक अपने भाई पी.डब्ल्यू 2 व अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी-अपनी झोंपडियों मे थे, तब अपीलार्थी अन्य अभियुक्तगण के साथ वहां आया और चिल्लाने लगा, सुनकर मृतक, उसका भाई और अन्य लोग अपने घरों से बाहर आ गए। अपीलार्थी के हाथ में धनुष और तीर थे और अन्य अभियुक्तगणों के हाथों में पत्थर थे। अभियुक्त-अपीलार्थी मृतक के विरूद्ध द्वेष रखता था क्योंकि उसने वन रेंजर्स के सामने महुआ के पेड़ को काटने के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत की थी। अपीलार्थी ने एक तीर मारा जो मृतक की छाती के बायीं ओर छेद कर गया। पीडब्लू-2 और अन्य गवाहों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद अन्य अभियुक्तों ने उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। चोट लगने पर मृतक ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की परन्तु कुछ कदम चलने के बाद ही वह गिर गया। उसे झोंपडी मे लाया गया और कुछ समय पश्चात मृतक ने चोटों के कारण दम तोड दिया। पीडब्लू-2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी तथा पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को परीक्षित करवाया गया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के पश्चात सभी अभियुक्तगण को मृतक की हत्या करने और पीडब्लू-2 को स्वेच्छा उपहति कारित करने के अपराधों के लिए दोषी पाया। उन्हें धारा 148, 302/149, 323/149 भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई। इसके विरुद्ध सभी अभियुक्तगण द्वारा एक अपील प्रस्तुत की गयी। उच्च न्यायालय ने मत प्रकट किया कि उसमें अपीलार्थीगण धारा 148, 302/149 और 323/149 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी नहीं थे। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को छोड़कर शेष सभी दोषियों के खिलाफ दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए केवल अभियुक्त-

अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी।

अभियुक्त-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय और संबधित उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहे कि पक्षकारों के बीच मुकदमे लंबित थे इसलिए अभियोजन पक्ष के साक्षियों और विशेष रूप से पीडब्लू-2 के साक्ष्य पर कोई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था; हालांकि पीडब्लू-2 ने न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया कि दो अन्य चश्मदीद गवाह का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने यह निर्णीत किया

निर्णीत 1.1. अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित करने के हेतुक का स्पष्ट रूप से न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और विशेष रूप से पीडब्ल्यू-2 और 6 के बयान में भी खुलासा किया गया है। जिस स्थान पर घटना हुई थी, यदि वह प्रश्नगत नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पड़ोसी झोपड़ियों के निवासी या तो घटना को देखेंगे या उसके तुरंत बाद बाहर आ जाएंगे। चूंकि घटना शाम लगभग 6 बजे हुई थी, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह हो सकता है कि पीडब्लू 3, पीडब्लू 4 और पीडब्लू-6 के विरूद्ध भैंस की चोरी के संबंध में मुकदमा लंबित था, लेकिन यह अपने आप में अपीलार्थी की मिथ्या संलिप्पतता का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा पीडब्लू-2 एक आहत गवाह है।

[पैरा 16] [1053-जी-एच; 1054-ए]

1.2. अभियुक्त द्वारा एक सुझाव दिया गया कि पीडब्लू-2 धनुष और तीरों से लैस होकर अभियुक्त/अपीलार्थी के पीछे उसे मारने के लिए भागा था, यदि ऐसा होता तो यह

अपेक्षित था कि इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। उससे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या वह मृतक के गिरने के बाद उसके पास यह पूछने के लिए गया था कि उसे किसने चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर उसने स्पष्ट किया कि उसने मृतक को तीर लगते देखा था। एक बार फिर उसे यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्तगण उनके घर में घुस आए; यदि ऐसा है, तो यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने अभियोजन कथानक को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

[पैरा 17] [1054-बी]

1.3. पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने भी अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया। पीडब्लू-6 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अकेले मृतक के पास गया और उसे झोपड़ी में ले गया, लेकिन मात्र इस अकेले से ही अन्य गवाहों के बयानों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सही टिप्पणी की है कि गवाहों के बयान घटना की तारीख से चार साल बाद हुए हैं, उनके बयानों में कुछ भिन्नता आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 18] [1054-सी-डी]

2. आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क विनिर्दिष्ट रूप से नहीं उठाया गया था। एक क्षीण प्रयास के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष यह आक्षेप लगाया गया कि 'आर' के घर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मृतक व अपीलार्थी के मध्य लडाई हुयी। अपीलार्थी को उस घर से, जहां कार्यक्रम हो रहा था, बाहर लाया गया परन्तु पीडब्लयू 6 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क अन्य किसी अभियुक्त द्वारा नहीं उठाया गया। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी को किन परिस्थितियों में तीर चलाना पडा, स्पष्ट नहीं हुआ । यदि मृतक ने अपीलार्थी के उपर तीर चलाया होता तो तो उसके चोटे लगती । अभियुक्तगण में से किसी को भी कोई चोट कारित नहीं हुयी थी जिससे उनके आत्मरक्षा के अधिकार का

प्रयोग करने को न्यायोचित ठहराया सके। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुये अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी सही पाया गया। [पैरा 19] [1054-ई-जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 99/ 2006

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंड पीठ इंदौर के सीआर.एल.ए सं. 1364/1998 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 18.01.2002 से ।

संतोष सिंह अपीलार्थी की ओर से।

विभा दत्ता मखीजा और अमित मिश्रा प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

एस.बी.सिन्हा, न्यायमूर्ति.

1. अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ, इंदौर की एक खंड पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1364/1998 में पारित एक निर्णय और आदेश दिनांकित 18.01.2002, जिसके तहत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा (संक्षेप में, 'भा.दं.सं.') के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास और 500 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसमें चूक करने पर उसे छह महीने के लिए और कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था, की सत्यता या अन्यथा पर प्रश्न उठाया गया है।

2. अपीलार्थी के साथ अन्य चार व्यक्तियों, नामतः चमरू, धनसिंह, लालू और जटनिया के विरूद्ध धारा 148,302 सपठित धारा 149 तथा धारा 323 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। यह घटना

गांव थेका कुंड, हवेली फालिया में दिनांक 27.11.1990 को लगभग शाम 6 बजे हुई थी।

3. मृतक इंदर सिंह अपने भाई हरि सिंह (पीडब्लू-2) के साथ और अन्य लोगों के साथ अपनी-अपनी झोपड़ियों में थे। अभियुक्तगण वहाँ आए और चिल्लाने लगे, जिसे सुनकर हरि सिंह (पीडब्लू-2), मृतक इंदर सिंह और अनसिंह, चंदर सिंह, सायरीबाई और सकरू अपने घरों से बाहर आ गए। अपीलार्थी के हाथ में धनुष और तीर थे और अन्य अभियुक्तगणों के हाथों में पत्थर थे। अपीलार्थी मृतक से जानना चाहता था कि मृतक ने रेंजर के सामने महुआ के पेड़ को काटने के संबंध में शिकायत क्यों की थी। वे उन्हें गाली-गलौज करने लगे। अपीलार्थी ने एक तीर मारा जो मृतक की छाती के बाएँ हिस्से में घुस गया। पीडब्लू 2 और अन्य गवाहों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद अन्य अभियुक्तगण ने पथराव करना शुरू कर दिया। चमरू ने कथित तौर पर एक पत्थर फेंका जो हरि सिंह (पीडब्लू-2) के कंधे और दाहिने पार्श्वविका ¼ पैराइटल ½ क्षेत्र में लगा। चोट लगने पर मृतक इंदर सिंह ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की। उसने तीर निकाला और उसे फेंक दिया। लेकिन, कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वह गिर गया। उसे झोपड़ी में लाया गया और कुछ समय बाद उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पीडब्लू-2 द्वारा पुलिस स्टेशन के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी, जो घटना स्थल से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। विद्वान् विचारण न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित हुये। विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर लाई गई सामग्री पर विचार करने के बाद सभी अभियुक्तगणों को इंदर सिंह की हत्या करने और पीडब्लू-2 को स्वेच्छा से उपहति कारित करने का दोषी पाते हुए कहाः

> "इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि

दिनांक 27.10.90 को अभियुक्तगण ने गांव ठेका कुण्ड मे इन्दर सिंह की हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य हेतु विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया और विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुये अभियुक्तगण ने घातक हथियारों तीर, धनुष और पत्थर से लैस होकर उस विधि विरूद्ध जमाव के समान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बलवा कारित किया गया और इन्दर सिंह की मृत्यु करने के आशय से जानबूझकर उसे तीर मारकर उसकी हत्या कारित की और विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पत्थर फेंककर हरी को स्वैच्छा उपहति कारित की। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 148, 302/149, 323/149 भा.दं.सं. के तहत अपराधों के लिए दोषी पाता हूं। निर्णय सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए स्थगित किया जाता है।"

4. सजा की मात्रा के संबंध में, यह निम्नानुसार कहा गया थाः

"अभियुक्तगण को सजा के बिंदु पर सुना। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह उनका पहला अपराध है, इसलिए उनके प्रति सजा के बिंदु पर उदारता बरती जाए। अपराधों की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 148 भा.दं.सं. के लिए दो-दो साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है। अपराध अंतर्गत धारा 302/149 भा.दं.सं. के लिए प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त को 500 रूपये (रु. पाँच सौ) के अर्थदंड से और अदम अदायगी अर्थदंड, उन्हें छह महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा और अपराध अंतर्गत धारा 323/149 भा.दं.सं. के लिए, उन्हें छह महीने के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाता

है। अभियुक्तगण की सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व मे भोगी गयी अभिरक्षा की अवधि उनकी मूल सजा से समायोजित की जावे।

5. सभी अभियुक्तगण द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को स्वीकार करते हुये आलौच्य निर्णय के आधार पर यह मत प्रकट किया कि अपीलार्थी धारा 148, 302/149,323/149 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराधों के दोषी नहीं थे लेकिन उक्त प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को धारा, 302 भा.दं.सं के अधीन दोषी पाया और आजीवन कारावास के दंड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त चमरू को धारा 323 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया और उसे पूर्व से भुगते हुये कारावास की अवधि से तथा 500 रूपये (रु. पाँच सौ) के अर्थदंड से दंडित किया।

6. इस प्रकार, अपीलार्थी हमारे समक्ष है।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिविक्ता श्रीमती संतोष सिंह, ने अन्य तर्कों के साथ-साथ, यह कथन किया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि पक्षकारों के मध्य मुकदमे लंबित थे एवं ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के गवाहों और विशेष रूप से पीडब्लू-2 के साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था ।

8. विद्वान् अधिविक्ता का यह भी तर्क रहा कि पीडब्लू-2 के साक्ष्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि यद्यपि उसने खुद को एक चश्मदीद गवाह होने का दावा किया था, लेकिन उत्सुकता से कहा कि जब इंदर सिंह जमीन पर गिर गया तो उसने उसके पास जाकर पूछा कि उसे किसने चोट पहुंचाई थी, जो बिल्कुल अनावश्यक था ।

9. यह कथन भी किया गया कि हालांकि पीडब्लू-2 ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि लक्ष्मण पुत्र राम चंदर और भूपेंद्र पुत्र करण सिंह चश्मदीद गवाह थे, जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। सकरु (पीडब्लू-6) के साक्ष्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया ताकि यह बताया जा सके कि वह भी एक चश्मदीद गवाह नहीं था क्योंकि वह बाद में आया था।

10. राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता मखीजा उपस्थित हुयी जिन्होने आलौच्य निर्णय को सही ठहराया।

11. मृतक इंदर सिंह की मृत्यु मानव वध की श्रेणी मे आना विवादित नहीं है। उसे मृत्यु से पूर्व निम्नलिखित चोटें आईंः

"बाहय चोटेंः तीसरी पसली पर एक कटा हुआ गहरा छिद्रित घाव मौजूद था। कोस्टो-कंड्रियल जंक्शन पर कट गया आकार 2.5 सेमी x 0.5 सेमी x 10 सेमी। कठोर धारदार छिद्रित वस्तु (तीर जैसी) से अस्थि की चोट आयी हुयी है"

12. हरि सिंह (पीडब्लू-2) को भी निम्नलिखित चोटें आईंः

"I. दाहिने कंधे पर कॉन्ट्रूरियम पीठ पर आकार 6 सेंटीमीटर X6 सेमी II. दाहिने फ्रन्टल भाग पर कुचला हुआ घाव आकार 2 सेंटीमीटर X 1.0 से. मी. x 0.5 से. मी. 2. पार्श्व स्थिति में बाएँ पैर पर खरोंच आकार 2 सेंटीमीटर X 1 सेमी"

13. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इंद्र सिंह की मृत्यु का जो कारण, बताया गया है वह निम्नवत है

"छिद्रित घाव के कारण रक्तस्राव के सदमे से मृतक की मृत्यु हो गई।"

''प्रकृति में मानववध, 24 घंटे के भीतर मर गया।''

14. डॉ. एम.एस. मंगलोई (पीडब्लू-1), जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया, ने अपने बयान में कहा

"मेरे द्वारा उसी दिन दोपहर 1:30 पी.एम. बजे पोस्टमार्टम किया गया था। मृतक सामान्य बनावट का था, आँखें बंद थीं, पुतली फैली हुई थी, मुँह बंद था और चेहरा पीला पड़ गया था। छाती और निचले हिस्से पर सूखे खून के धब्बे थे। दोनो हाथों व पैरों में रिगर मॉरटिस (अकडन) मौजूद है। पीठ पर पीएम दाग मौजूद थे। शरीर की जाँच करने पर, मैंने शरीर पर निम्नलिखित चोटे पायी-

कोस्टो-कंड्रियल जंक्शन पर तीसरी पसली के उपर एक कटा हुआ गहरा छिद्रित घाव आकार 2.5 सेमी x 0.5 सेमी x 10 सेमी।

इससे प्रतीत होता है कि उक्त चोटें एक कठोर, धारदार छेद करने वाली वस्तु जैसे तीर से कारित हुयी थी। मेरी जाँच के 24 घंटे के भीतर चोटे मृत्यु पूर्व कारित हुयी थी। चोटे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

मेरी राय में, मृतक की मृत्यु रक्तस्राव के सदमे से हुयी है। मृत्यु मानव वध की प्रकृति की है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श-2 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर ए से ए हैं।''

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में विस्तृत है। यह जिस तरीके और जिस

प्रकार से घटना हुई उसे बताती है। घटना के तुरंत बाद होने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है, हरि सिंह (पीडब्लू-2) ने अपने बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है।

16. अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित करने के हेतुक का स्पष्ट रूप से न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और विशेष रूप से पीडब्ल्यू-2 और 6 के बयान में भी खुलासा किया गया है। जिस स्थान पर घटना हुई थी, यदि वह प्रश्नगत नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पड़ोसी झोपड़ियों के निवासी या तो घटना को देखेंगे या उसके तुरंत बाद बाहर आ जाएंगे। चूंकि घटना शाम लगभग 6 बजे हुई थी, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। यह हो सकता है कि सकरू, चन्दर सिंह और मगन (पीडब्ल्यू 4) के विरूद्ध भैंस की चोरी के संबंध में मुकदमा लंबित था, लेकिन यह अपने आप में अपीलार्थी की मिथ्या संलिप्पतता का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा पीडब्लू-2 एक आहत गवाह है।

17. अभियुक्त द्वारा एक सुझाव दिया गया कि पीडब्लू-2 धनुष और तीरों से लैस होकर अभियुक्त मगन के पीछे उसे मारने के लिए भागा था, यदि ऐसा होता तो यह अपेक्षित था कि इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए थी। उससे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या वह मृतक के गिरने के बाद उसके पास यह पूछने के लिए गया था कि उसे किसने चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर उसने स्पष्ट किया कि उसने इन्दर सिंह को तीर लगते हुये देखा था। एक बार फिर उसे यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्तगण उनके घर में घुस आए; यदि ऐसा है, तो यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने अभियोजन कथानक को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

18. पीडब्लू-3, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 ने भी अभियोजन मामले का

पूर्ण समर्थन किया। पीडब्लू-6 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह अकेले इन्दर सिंह के पास गया और उसे झोपड़ी में ले गया, लेकिन हमारी राय में इस अकेले से अन्य गवाहों के बयानों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय ने हमारी राय में सही टिप्पणी की है कि गवाहों के बयान घटना की तारीख से चार साल बाद हुए हैं, उनके बयानों में कुछ भिन्नता आने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

19. इसलिए, अपीलार्थी और चमरू की भागीदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क विनिर्दिष्ट रूप से नहीं उठाया गया था। एक क्षीण प्रयास के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष यह आक्षेप लगाया गया कि रामसिंह के घर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरीसिंह, इन्दर सिंह व मगन के मध्य लडाई हुयी। मगन को उस घर से जहां हरीसिंह और इन्दर सिंह ने कार्यक्रम आयोजित किया था, बाहर लाया गया परन्तु सकरू (पीडब्लयू 6) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम वहां नहीं हुआ था। आत्मरक्षा के अधिकार का तर्क अन्य किसी अभियुक्त द्वारा नहीं उठाया गया, और ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी को किन परिस्थितियों में तीर चलाना पडा, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया। यदि मृतक ने अपीलार्थी के उपर तीर चलाया होता तो उसके चोटे लगती। अभियुक्तगण में से किसी को भी कोई चोट कारित नहीं हुयी थी, जिससे वे आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सके। हमारी राय में विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी सही पाया गया।

20. उपरोक्त कारणों से, हम अपील में कोई उचित तथ्यात्मक व गुणात्मक आधार नहीं पाते है। जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

एस.के.एस. अपील खारिज ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल शुक्ला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।